रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 7, 1987/वैशाख 17, 1909
No. 235] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 7, 1987/VAISAKHA 17, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 7 मई, 1987

अधिसूचना

सं. 198/87-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 461(अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, निदेश देती है कि इससे संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट,

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में से प्रत्येक में उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में, विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन या और संशोधन किया जाएगा ।

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना सं. और तारीख	संशोधन
1	2	3
1.	सं. 130/86-सीमाशुल्क, तारीख 17 फरवरी, 1986	उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में क्रम सं. 11-ब में कालम 4 में "जमा 3 रुपये प्रति किलोग्राम" अंकों और शब्दों का लोप किया जाएगा ।
2.	सं. 136/86-सीमाशुल्क, तारीख 17 फरवरी, 1986	उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में कालम 4 में:— (i) क्रम सं. 53-ब में "जमा 3 रुपये प्रति किलोग्राम" अंक और शब्दों का लोप किया जाएगा, (ii) क्रम सं. 53-सी में "जमा 3 रुपये प्रति किलोग्राम" अंक और शब्दों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 357/4/87-टी. आर. यू.]

टी. जयरामन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 7th May, 1987

NOTIFICATION

NO. 198/87—CUSTOMS

GSR 461 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do', hereby directs that each of the notifications of

the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table hereto annexed, shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table :

TABLE

Sl. No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	Notification No. 130/86-Customs dated 17th February, 1986.	In the Table annexed to the said notification, against Sl. No. 11A in column (4) the words and figures "plus Rs. 3 per kg" shall be omitted.
2.	Notification No. 136/86-Customs dated 17th February, 1986	In the Table annexed to the said notification, in column (4),— (i) against Sl. No. 53B, the words and figures "plus Rs. 3 per kg" shall be omitted (ii) agaisnt Sl. No. 53C, the words and figures "Plus Rs. 3 per kg." shall be omitted.

[F. NO. 357/4/87—TRU]

T.JAYARAMAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987